न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या — 4/2017

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
सरकार जरिये श्री गजेन्द्रकुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर		1.श्री चम्पालाल पुत्र श्री मोहनलाल मैसर्स–कमलेश एजेन्सी, इन्द्रपुरी कॉलोनी, जालोर ,मो.नं.6461632612 2.जुगलकिशोर जोशी, आवास–नया शहर बीकानेर (राज.), मैसर्स कुबेर ट्रेडिंग कम्पनी, करणी इण्डस्ट्रीज एरिया बीकानेर। मो.नं.7665080306

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) एफ व धारा 51 के तहत्

उपस्थिति :–
1.प्रार्थी की ओर से श्री गजेन्द्रकुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर उपस्थित।
2.अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 अनुपस्थित। ।

निर्णय दिनांक 21.2.2018

1. प्रार्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य दिनांक 4.1.2016से सम्पन्न कर रहे है और प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक H/FSSA/Notification/2011-727 दिनांक 29.11.2016 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए/2015/1032 दिनांक 30.12. 2015 के अनुसार प्रार्थी को कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर आवंटित किया गया है। कमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग,राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना कमांक/प.1(2) कार्मिक/ क–4/ 08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.6.2017 को 4.00 पी.एम पर मैसर्स कमलेश एजेन्सी,इन्द्रपुरी कॉलोनी जालोर पर पहूंचने पर प्रार्थी ने विक्रेता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया, पूछने पर विक्रेता ने अपना नाम चम्पालाल पुत्र मोहनलाल बताया तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया, वास्ते निरीक्षणार्थ वर्ष 2016 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र होना जाहिर किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान के अन्दर रैक में 500 एम.एल.पैकिंग में घी(कुबेर ब्राण्ड) पैकिंग की लगभग 130 डिब्बे आम जनता को विक्रय के लिए रखे हुए थे। मिलावट का सन्देह होने पर दुकान से 500 एम.एल.पैकिंग में घी(कुबेर ब्राण्ड)के चार डिब्बे वास्ते नमूना जांच प्रार्थी ने खरीदी, जिसकी कीमत के विक्रेता को 700 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर प्रार्थी स्वयं व विक्रेता तथा उपस्थित गवाहान दिनेशकुमार पुत्र रणछोडलाल व हनुमानाराम पुत्र खेताराम प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5–ए की प्रतिया व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान् को पढकर ,सुनाकर व समझकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर अप्रार्थी चम्पालाल ने पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये, फार्म सं. 5–ए की एक प्रति अप्रार्थी / विक्रेता श्री चम्पालाल को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा 500 एम.एल.के चार डिब्बे लिये तथा लेबल तैयार किये व लेबल पर डी.ओ.के कोड ओ–641 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर प्रार्थी स्वयं ने हस्ताक्षर किये व विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये । चारो नमूना डिब्बो ` को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. जालोर की हस्ताक्षरसुदा पेपर स्लीप सं.ओ–641 नियमानुसार चारो नमूना डिब्बो पर नीचे उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता / मालिक एवं गवाहान् के हस्ताक्षर नियमानुरार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाब्ते में लिया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं.6 की 6 प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसरो नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म नं.6 की प्रति के आउटर कवंर में सील बन्द कर,सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक ,राज. जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, दो फार्म सं.6 की प्रति अलग रो एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सीलमोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राज. जोधपुर को जमा

कराकर,फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सीलबंद नमूना भाग में फार्म नं. 6 की दो प्रतियो के आउटर कंवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए /2016/3458 दिनांक 12.7.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./750/एक्ट /2016/777 दिनांक 29.6.2016 के अनुसार प्रार्थी द्वारा वास्ते जांच लिया गया नमूना सब स्टेण्डर्ड (Substandard)होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालोर ने पत्र क्रमांक/2 दिनांक 13.12.2016 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कैस को न्याय निर्णयन् अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में सब स्टेण्डर्ड घी **(कुबेर ब्राण्ड)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, नमूना खरीद बिल असल, फार्म नं.5ए असल,मौका फर्द रिपोर्ट असल,फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद ,खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना संख्या 0–578की प्राप्ति रसीद,खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट, मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का पत्र क्रमांक एफ एसएसए/स्वीकृति/2016/ओ–641 दिनांक 13.12. 2016 आदि कागजात् प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दि. 11.1.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत् नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 31.1.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी सं.1 दिनांक 31.1.2017, 20.6.2017,13.7.2017को उपस्थित रहे है तथा शेष तारीखों में अनुपस्थित रहे है।अप्रार्थी को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी सं.2 अनुपस्थित है।

5. अप्रार्थी सं.1 ने कोई जवाब पेश नही किया गया है।

6. प्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं परिवाद में वर्णित तथ्यों ,साक्ष्य सरकार सं.1 के बयान तथा इसके साथ संलग्न दस्तावेजात्, खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच–रिपोर्ट संख्या एल एस/ 750/एक्ट/2016/777 दिनांक 29.6.2016 से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी सं.1 से लिया गया घी (कुबेर ब्राण्ड) का नमूना सब स्टेण्डर्ड(**Substandard**)पाया गया।उक्त घी अप्रार्थी सं.1 ने अप्रार्थी सं.2 से खरीदने के बिल सं. 430 दिनांक 14.6.2016 की फोटो प्रति पेश हुई है। चूंकि अप्रार्थी सं.1 ने अप्रार्थी सं.2 से उक्त सब स्टेण्डर्ड घी(कुबेर ब्राण्ड) खरीद कर अपनी फर्म में आम जनता को बैचान हेतु रखा हुआ था जिसके लिए अप्रार्थी सं.1 व 2 दोषी प्रतीत होते है। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सं.1 व 2 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011की धारा 51 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त को मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी सं.1 व 2 को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी सं.1 द्वारा उक्त सबस्टेण्डर्ड माल विक्रय करने व अप्रार्थी सं. 2 की फर्म का उक्त माल सबस्टेण्डर्ड होने से खाद्य मानक अधिनियम 2006एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)के उल्लंघन करने से उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अप्रार्थी सं.1 पर 50000/–रूपये अक्षरे पचास हजार रूपये व अप्रार्थी सं. 2 पर 50000/–रूपये अक्षरे पचास हजार रूपये, कुल 100000/–रूपये एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी सं.1 व 2 से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड– "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि " में नियमानुसार जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.2.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd.
(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

क्रमांक/ 233-236 दिनांक 21.2.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज.जयपुर।
2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर
3.श्री गजेन्द्र कुमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि.जालोर।
4.अप्रार्थी–चम्पालाल पुत्र श्री मोहनलाल,मैसर्स–कमलेश एजेन्सी,इन्द्रपुरी कॉलोनी,जालोर / जुगलकिशोर जोशी पुत्र दाउलाल,आवास–नया शहर बीकानेर(राज.),मैसर्स कुबेर ट्रेडिंग कम्पनी, करणी इण्डस्ट्रीज एरिया बीकानेर।

S.d.
(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर